भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./01/146/2018/एफ.सी./1855 दिनांक 27/11/2020

सेवा में,
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद— उत्तरकाशी के अन्तर्गत सूपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल–सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में। (FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भः—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 1400/FP/UK/ HYD/22889/2016 दिनांक 11-11-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30/09/2020 का जवाब राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रेषित उत्तर में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति अभी भी राज्य सरकार से अपेक्षित है:—

1. वन मंडल अधिकारी द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित नहीं किया गया है कि सी0ए0 क्षेत्र का निरीक्षण उनके द्वारा स्वयं किया गया है अथवा नहीं तथा प्रमाण पत्र में निरीक्षण दिनॉक भी अंकित नहीं की गई है। वन मंडल अधिकारी स्वयं निरीक्षण कर प्रत्येक सी0ए0 patch में उपस्थित वृक्षों की प्रजातिवार एवं गोलाईवार सूची प्रस्तुत करें।
2. राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिस्थिति स्पष्ट करें:—
   a. पूर्व में 1530 वृक्षों की सूची upload की गई थी परन्तु अब यह संज्ञान में आया है कि वृक्षों की संख्या 1498 कर दी गई है।
   b. वृक्षो की सूची पहले आनलाईन पोर्टल पर additional document में अपलोड की हुई थी जो अब उपलब्ध नहीं है।
   c. राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.06.2019 बिन्दु क्0 06 के द्वारा अवगत कराया गया था की गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना के निर्माण में 22.067 है0 भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त भूमि में 69 वृक्षों को पातन किया जाना है। साथ ही बिन्दु क्0 08 के द्वारा अवगत कराया गया था कि टौन्स वन प्रभाग से किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाना है। राज्य सरकार प्रभावित होने वाले वृक्षों, lopping/ chopping होने वाले वृक्षों तथा काटन/पातन होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार एवं व्यासवार विवरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा पार्ट– II के additional document में upload करें।

3. प्रस्ताव पर NBWL में Approval लिया गया है परन्तु प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पार्ट– II के Para 8 (ii) में 'No' उल्लेखित है। अतः राज्य सरकार इस पर परिस्थिति स्पष्ट करे कि इस प्रस्ताव का कितना क्षेत्र Wildlife Sanctuary के अन्दर आता है, तदनुसार Para 8 (ii) में सही जानकारी भरें तथा संशोधित NPV calculation sheet भी प्रस्तुत करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)